

भारत का राजपत्र
The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3(i)
PART II—Section 3(i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 1, 1979/पौष 11, 1900
No. 2] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 1979/PAUSA 11, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

अभियुक्तता

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1979

सा० का० नि० 2 (अ).—खान और खनिज (विनियमन और विकास) विधायक 1957 (1957 का 67) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रवृत्त प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में एनद्वाग और धाने निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में मर सं० 6 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के लिये निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात् :—

“6. मैंगनीज अयस्क,—

(क) मैंगनीज डाइऑक्साइड (78% अथवा अधिक मैंगनीज डाइ- ऑक्साइड वाला और 4% अथवा कम लौह तत्व वाला)	30 रु० प्रति टन
(ख) 46% कच्चा अधिक मैंगनीज	12 रुपये प्रति टन
(ग) 35% और अधिक मैंगनीज लेकिन 46% से कम मैंगनीज	7 रुपये और 50 पैसे प्रति टन
(घ) 35% से कम मैंगनीज परन्तु 25% से अधिक मैंगनीज	5 रुपये प्रति टन
(ङ) 25% अथवा कम मैंगनीज	2 रुपये प्रति टन

2. यह अधिसूचना 1-1-1979 से लागू मानी जाएगी ।

[फा० सं० 1(50)/77-मान-6]

के० सिवरामकृष्णन्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

NOTIFICATION

New Delhi, 1st January, 1979

G.S.R. 2(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely :—

In the Second Schedule to the aforesaid Act, for item 6 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“6. Manganese Ore—

- | | |
|---|---|
| (a) Manganese dioxide (containing 78% or more of MnO_2 and 4% or below Fe.) | Thirty rupees per tonne |
| (b) 46% Mn. and above | Twelve rupees per tonne |
| (c) 35% Mn. and above but below 46% Mn. | Seven rupees and fifty paise per tonne. |
| (d) Below 35% Mn. but above 25% Mn. | Five rupees per tonne |
| (e) 25% Mn. or below | Two rupees per tonne.” |

2. This notification shall come into force on and with effect from 1-1-1979.

[File No. 1(50)/77-MVI]

K. SIVARAMAKRISHNAN, Jt. Secy.